सं. जी-16015/04/2015-एसबीएम

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

12वी मंजिल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड़,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 17-04-2015

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
प्रभारी-ग्रामीण स्वच्छता
सभी राज्य

विषय: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय विनिमय को मानिटर करने के लिए पीएफएमएस का कार्यान्वयन।

महोदया/महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी वित्तीय विनिमय जिसमें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जैसे केंद्रीय प्रसारित योजनाएँ शामिल हैं, को मानिटर करने के लिए नियंत्रक महालेखाकार के कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) तैयार की गई है। इस प्रणाली में राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी के न्यूनतम स्तर तक के सभी वित्तीय विनिमय का पता लगाने की क्षमता है।

2. मंत्रालय द्वारा यह निर्णय किया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए पीएफएमएस को कार्यान्वित किया जाए। इस प्रकार राज्य सरकार के अधीन कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों से अपेक्षित है कि वे http://cpsms.nic.in पर पीएफएमएस पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर कराएँ।

3. कार्यान्वय एजेंसियों (जैसे विभिन्न जोनों, मंडलों, प्रभागों, ब्लाकों, जीपी गाँवों में राज्य वित्त विभाग, पीएचईडी, डब्ल्यूएसएसओ, डीडब्ल्यूएसएम, जीपीडब्लयूएससी, वीडब्ल्यूएससी आदि) के वरीयता क्रम के साथ विभिन्न स्तरों का तथा राज्य में ऐसी एजेंसियों की संख्या का पता लगाने के लिए एतदद्वारा यह अनुरोध है कि http://indiawater.gov.in/IMISWeb/Miscellaneous/InserltLevelAgencyStateWise.aspx. जैसे लिंक के साथ आईएमआईएस में निम्न अनुसार फार्मेट में दिनांक 30.4.2015 तक अपने राज्य से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें:-

राज्य का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी की श्रेणी	राज्य में ऐसी एजेंसियों की संख्या	एजेंसी का नाम जिससे कालम 2 की एजेंसी फंड लेगी
1	2	3	4

4. इसको शुरू करने के लिए मंडल अभियंता स्तर तक की सभी एजेंसियाँ अपने बैंक खाते को पीएफएमएस के साथ आनलाइन रजिस्टर करायें। आवेदन पत्र एवं अनुदेश संदर्भ के लिए संलग्न हैं। संलग्न अनुसूची के अनुसार सभी जिला प्राधिकारियों को गाइड करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग का भी आयोजन किया गया है। संबंधित एजेंसियों को इसमें भाग लेना चाहिए।

5. **अनुरोध है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मंडल अभियंता स्तर तक के सभी प्राधिकारियों ने दिनांक 10/05/2015 तक अपने आपको रजिस्टर करा लिया है, वरीयता क्रम में एक स्तर ऊपर की एजेंसी द्वारा ऐसे सभी रजिस्ट्रेशनों को अनुमोदित किया जाए।**

6. यह भी सूचित करें कि क्या पीएचईडी/एसडब्ल्यूएसएम शहरी क्षेत्रों को भी डील करता है? यदि ऐसा है तो इस बात की पुष्टि करें कि शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं के लिए अलग-अलग बैंक खाते हैं।

भवदीय,

(क्रिसटीना कुजुर)
अवर सचिव-भारत सरकार

संलग्न:-उपरोक्त अनुसार

प्रतिलिपि:-कार्यालय-सीजीए,पीएफएमएस सैल, वित्त मंत्रालय (ध्यानार्थ श्री सुबेध माथुर, संयुक्त नियंत्रक)